रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 1690/2010

गंगाराम - अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य - प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायाधीश, डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़

यह अपील 2 अप्रैल 2008 को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एक खंडपीठ के पारित एक निर्णय से उत्पन्न हुई।

एक विशेष अपील में, खण्ड पीठ ने 5 अगस्त 1998 को पारित एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को रद्द कर दिया।

जोधपुर में डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के प्रिंसिपल और कंट्रोलर द्वारा 26 अगस्त 1991 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ प्रोजेक्शनिस्ट के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

विज्ञापन में निर्धारित किया गया था कि उम्मीदवार के पास उच्च माध्यमिक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए और सिनेमा प्रोजेक्टर चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25

सितंबर, 1991 थी। अपीलकर्ता और तीसरा प्रत्यर्थी ही एकमात्र उम्मीदवार थे। अपीलकर्ता को प्रोजेक्शनिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया था।

अपीलकर्ता और तीसरे प्रत्यर्थी दोनों का 10 अक्टूबर 1991 को साक्षात्कार किया गया था। अपीलकर्ता को चयन सूची के क्रम संख्या 1 पर रखा गया था। नतीजतन, उन्हें नियुक्त किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि अपीलकर्ता योग्यता को पूरा नहीं करता था क्योंकि उसके पास एक सिनेमा ऑपरेटर के लिए लाइसेंस नहीं था।

विद्वत एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया कि सिनेमा ऑपरेटर के लिए लाइसेंस का होना किसी प्रमाणन के संबंध में पूर्ववर्ती बात नहीं होकर यह केवल कौशल की मान्यता है। विद्वत एकल न्यायाधीश के अनुसार, एक बार जब नियोक्ता ने किसी उम्मीदवार के कौशल का उचित मूल्यांकन कर लिया है, तो नियुक्ति प्रभावित नहीं होती है। रिट याचिका खारिज कर दी गई।

विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए खण्ड पीठ ने कहा कि विज्ञापन की शर्तों के तहत, आवेदन 25 सितंबर 1991 तक प्राप्त किए जाने की आवश्यकता थी। खण्ड पीठ की राय में आवेदन के साथ शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता स्थापित करने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए। खण्ड पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने अपने आवेदन के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो यह दर्शाता हो कि उसके पास सिनेमा प्रोजेक्टर चलाने का लाइसेंस है। इस आधार पर, खण्ड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर अपीलकर्ता योग्य नहीं

था। अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और संबंधित तिथि पर तीसरे प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी पर उसकी पात्रता के आधार पर विचार करने और अन्यथा उपयुक्त पाए जाने पर उसे नियुक्ति देने का निर्देश जारी किया गया।

इन कार्यवाहियों में 7 जुलाई, 2008 को नोटिस जारी किया गया और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। 8 फरवरी 2010 को अनुमति प्रदान की गई और अपील के लंबित रहने तक अंतरिम आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया गया। नतीजतन, अपीलकर्ता ने 22 अक्टूबर 1991 को अपनी नियुक्ति के बाद से प्रोजेक्शनिस्ट के पद पर काम करना जारी रखा है।

मूल मुद्दा जो विचार के लिए आता है वह यह है कि अपीलकर्ता ने एक सिनेमा ऑपरेटर के लिए लाइसेंस रखने की आवश्यकता को पूरा किया है या नहीं किया है। जिस पद के लिए आवेदन किया गया था वह एक प्रोजेक्शनिस्ट का पद था।

तीसरे प्रत्यर्थी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि राजस्थान सिनेमा (विनियमन) नियम, 1959, के नियम 68 (2) के तहत, इस तरह का लाइसेंस रखना आवश्यक है।

इस प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, नियम 68 के प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है। नियम 68 में निम्नलिखित प्रावधान हैः- -

> "संचालकों का प्रमाणन-(1) किसी प्रदर्शनी के दौरान संलग्नक कम से कम 18 वर्ष की आयु के किसी अर्हित प्रचालक का प्रभारी होगा, जिसके पास इस आशय का इलैक्ट्रिक इंस्पेक्टर द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र होगा कि

वह किसी चलचित्र को संभालने और प्रचालित करने में सक्षम है।

(2) किसी प्रचालक को तब तक प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह-

(क) सिनेमैटोग्राफ मशीन का कार्यसाधक ज्ञान और मशीन के प्रकार का एक विशेष तकनीकी ज्ञान रखता है, जिसे वह संचालन के समय नियोजित करता है;

(ख) वह पहले से ही चलचित्र प्रदर्शनियों और अग्नि शमन के विरुद्ध सावधानियों से संबंधित नियमों से परिचित है।

(ग) आग से निपटने के सबसे तेज और प्रभावी तरीकों से परिचित है।

(घ) विद्युत शक्ति के तत्वों-प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धारा, वोल्टेज और इसी तरह के तत्वों का उत्कृष्ट ज्ञान है और

(ङ) फिल्म की वाइंडिंग, मरम्मत और कुशल सफाई करने में निपुण है।

(2-ए) एक ऑपरेटर अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर अपने मुख्यालय या किसी अन्य स्थान पर उक्त इंस्पेक्टर के समक्ष खुद को प्रस्तुत करके अधिकार क्षेत्र वाले इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर से एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, इंस्पेक्टर ऑपरेटर की जांच कर सकता है। यदि वैध कारणों से निरीक्षक आवेदक की जांच करने की स्थिति में नहीं है, तो वह लाइसेंसिंग

प्राधिकारी को सूचित करते हुए आवेदक को लिखित में समय सीमा 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकता है।

(3) इलैक्ट्रिक इंस्पेक्टर, ऑपरेटर को नोटिस जारी करने के बाद और उसके उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उसके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को वापस ले सकता है।

(4) अनुदान और प्रमाणपत्र वापस लेने के संबंध में इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर लाइसेंस प्राधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।

(5) प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए शुल्क दस रुपए होगा और इसकी एक प्रतिलिपि दो रुपए के शुल्क के भुगतान पर दी जा सकती है।"

नियम 68 के उप-नियम (2-ए) में यह प्रावधान है कि कोई भी ऑपरेटर अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर स्वयं को प्रस्तुत करके विद्युत निरीक्षक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। नियम 68 के उप-नियम (2-ए) में नियुक्ति की तारीख को लाइसेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। उप-नियम (2-ए) के तहत नियुक्ति के तीन महीने के भीतर अधिग्रहण की अनुमति है। अपीलकर्ता ने अपनी नियुक्ति की तारीख के बाद लाइसेंस प्राप्त किया। यह नियम 68 के उप-नियम (2-ए) के स्पष्ट प्रावधानों का वैध अनुपालन है।

जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, अपीलकर्ता अक्टूबर 1991 में अपनी नियुक्ति की तारीख से सेवा में जारी है और पिछले 28 वर्षों से सेवा में है।

उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की थी।

जिन कारणों से हमने वर्तमान निर्णय में संकेत दिया है, हम अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के 2 अप्रैल, 2008 के फैसले को रद्द करते हैं। नतीजतन, तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई रिट याचिका खारिज होती है ।

हालांकि, खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

न्यायाधीश, (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़)

न्यायाधीश, (हेमंत गुप्ता)

नई दिल्ली

24 जनवरी, 2019

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।